


उत्तर प्रदेश सरकार
 प्रमाणन-2
 संख्या. 13.7.2 / 36-7-99
 लखनऊ, दिनांक. 13.7.99
 अधिसूचना



अभ्युक्त और अध्यापन कर्मचारियों को शीघ्र ही अधिनियम 1996 (अधिनियम संख्या 27, सन, 1996) की धारा 42 की उपधारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूची के स्तंभ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को शीघ्र ही नियुक्त करने हैं और उनको अपनी अधिकारिता की ऐसी स्थानीय सीमाएं समुचित करती हैं जैसी कि उक्त अनुसूची के स्तंभ-3 में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
1-	2-	3-
1- श्री अशोक, उत्तर प्रदेश, कांनपुर के कार्यालय में तैनात समस्त अवर/उप/सहायक श्री अशोक और श्री पूर्ण अशोक		सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
2- कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश, कांनपुर		सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
3- जिनमें तैनात सभी अवर/उप/सहायक श्री अशोक		अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर।
4- जिनमें तैनात सभी कारखाना उपनिदेशक/सहायक निदेशक		सदैव
5- जिनमें तैनात सभी श्री पूर्ण अशोक		सदैव

अतः से,

 डी. ए. ए. लाल
 सचिव।

160
 28-9-99
 JBT